प्रकरण संख्या 8/17 शंकरलाल व अन्य बनाम श्रीमती कैलाशी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय माधुलाल द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमेट में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी नंबर 3603, 3604, 5491/3603 कुल किता 3 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि मय चाह के वादी ने प्रतिवादी श्यामलाल सुनार के यहां दिनांक 22.07.1986 को रहन रखी, किन्तु प्रतिवादी के मन में लालच आ जाने से प्रार्थी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया, जिससे प्रार्थी बरी हो गया। प्रतिवादी श्यामलाल ने भूमि गलत तरीके से अपने नाम करायी एवं विपक्षी संख्या 8 व 9 को विक्रय कर दिया, जिससे विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे के वे प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं करें। विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि श्यामलाल के खातेदारी एवं आधिपत्य की थी एवं विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 7 को प्राप्त हुई है एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विपक्षी संख्या 8 व 9 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया है। प्रार्थी ने मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो सव्यय खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20.04.2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दियाा, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.04.2017 को प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से वकील श्री गिरीश पुरोहित उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।	

प्रकरण संख्या 8/17 शंकरलाल व अन्य बनाम श्रीमती कैलाशी व अन्य

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की अलग–अलग व्याख्या नहीं की है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने मौके पर अपना कब्जा साबित कराया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर किसी प्रकार का विस्तृत विवेचन नहीं किया है, मात्र एक लाईन में तीनों का विवेचन कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.04.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तुत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 8/17 शंकरलाल व अन्य बनाम श्रीमती कैलाशी व अन्य

प्रकरण संख्या 8/17 शंकरलाल व अन्य बनाम श्रीमती कैलाशी व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:30:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: